CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN-U40108CT2003SGC015820 **CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR**
GST No. – 22AADCC5773E1ZX छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर
दूरभाश PHONE: 0771– 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.
Web Site: www.sldccg.com *email: csebsldc@sldccg.com*

No. 30-02/SLDC/ARR/ Raipur Date:

PUBLIC NOTICE

In compliance to the relevant provisions under section 62 and 64 of Electricity Act and of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (SLDC Fees and Charges) Regulations, 2012 and the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015 and 2021, Chhattisgarh State Load Despatch Center has submitted a Petition (No.100/2022(T)) for the approval of CSLDC Final True-up of ARR for FY 2021-22, revised ARR for FY 2023-24 and CSLDC Charges for FY 2023-24 along with Final True-Up of Annual Revenue Requirement of FY 2021-22 tariff and fees and charges.

As per above petition, the revenue gap for FY 2021-22 along with carrying cost recoverable in FY 2023-24 is Rs. 1.83 cr. and revised ARR for FY 2023-24 is Rs. 21.38 cr.

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and State Load Despatch Center Office at Dangania, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs. 150/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.sldccg.gov.in and www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Executive Director, SLDC at Dangania, Raipur, and/or Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /comments may also be sent through Fax to CSERC at Fax No. 0771-4073553. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing shall be published by CSERC in the newspaper separately.

Executive Director
SLDC, CSPTCL Raipur

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN-U40108CT2003SGC015820 **CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR**
GST No. – 22AADCC5773E1ZX **छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर**
दूरभाष PHONE: 0771– 2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.
Web Site: www.sldccg.com *email: csebsldc@sldccg.com*

No. 30-02/SLDC/ARR/ Raipur Date:

आम–सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम, 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ संबंधित विषयक के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2015 एवं 2021 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 64 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप), वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एसएलडीसी प्रभार के अनुमोदन हेतु याचिका (क्रमांक 100/2022(T)) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त याचिका में वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष 2023–24 तक के कैरिंग कास्ट सहित राजस्व घाटा रू.1.83 करोड़ एवं वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू.21.38 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रू 150/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू. 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाईट www.sldccg.gov.in तथा www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर कार्यापालक निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर और/अथवा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव /आपत्तियों की प्रति फैक्स द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैक्स नम्बर 0771–4073553 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

कार्यापालक निदेशक
राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रासं.कं.लि.,रायपुर